

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 4(परीक्षा) आकाशि/नि०सं०/2019/1023

दिनांक: 23 मई 2019

समस्त निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय:-महाविद्यालयों में सी०सी०टी०वी० कैमरों की उपलब्धता बाबत।

संदर्भ:-अति० महानिदेशक पुलिस(सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक: प.
6(01)पु०अ०/म०अ०/पोलिसी/10/4050 दिनांक-24.4.2019।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य में शिक्षण संस्थाओं के बाहर एवं आस-पास संस्थाओं के प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने के समय असामाजिक तत्वों द्वारा आये दिन छात्राओं से छेड़-छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश द्वार के आस-पास एवं महाविद्यालय भवन के अन्दर सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाया जाना सुश्चित करें एवं संस्था प्रधान की ओर से सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें।

भवदीय



आयुक्त


कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 23 मई 2019

क्रमांक:- एफ 4(परीक्षा) आकाशि/नि०सं०/2019/1023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अति० महानिदेशक पुलिस(सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त निदेशक, (नि०सं०)

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर